



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31, 2015/माघ 11, 1936

No. 219]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31, 2015 /MAGHA 11, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2015

का.आ. 297(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2015 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है),-
(i) की अनुसूची 1, भाग क में, शीर्ष "उर्वरकों के विनिर्देश" के अधीन, उपशीर्ष 1(छ) में "फोरटीफाइड उर्वरक" में, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

'15. बेन्टोनाइट सल्फर जिसमें जिंक हो

भार के आधार पर आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 1.0

भार के आधार पर सल्फर (गंधक के रूप में) का अधिकतम प्रतिशत 65.0

भार के आधार पर जिंक (जिंक के रूप में) का अधिकतम प्रतिशत 18.0

कण आकार – सामग्री का 90 प्रतिशत से अन्यून 4 मि.मी. की भारतीय मानक छलनी से आर-पार पारित किया जाएगा और 1 मि.मी. भारतीय मानक छलनी पर रखा जाएगा।

5 प्रतिशत से अनधिक 1 मि.मी. भारतीय मानक छलनी से नीचे रहेगा।

(ii) अनुसूची 2 के भाग क में, शीर्ष "उर्वरकों के नमूना लेने की प्रक्रिया" के पैरा 7 में, "पोतों, खुले बाहकों और खुली बोरियों से खुले उर्वरकों से नमूना लेना" के

(क) मद सं. (i) में "नमूना लेने के उपकरणों, परा (ग) "हल्था (स्कूप)" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा

"(ग) नमूना लेने का कप या हल्था (स्कूप):

पोत या यथास्थिति, साइलो से नमूना लेने, नमूना लेने के कप या स्टेनलेस स्टील या तांबे से निर्मित उपयुक्त हल्था (स्कूप) द्वारा एकत्र किया जाएगा";

(ख) मद सं. (ii) में, "नमूना लेने की प्रक्रिया",

(i) उपमद (क) में, पैरा ख के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"ख. पोत से नमूना लेना

1. घाट या यथास्थिति, साइलो पर पोत से उतारे गए उर्वरक से, उतारने के पहले और अंतिम दिन पांच घंटे के और मध्यवर्ती दिवसों से तीन घंटे के नियमित अंतराल पर आवधिक रूप से नमूनों को निकाला जाएगा। किसी विशेष दिवस को निकाले गए सभी नमूनों को उस दिवस का सम्मिश्र नमूना बनाने के लिए एक दूसरे के साथ मिश्रित किया जाएगा। यदि किसी दिवस का सम्मिश्र नमूना अपेक्षित भाग से अधिक है, तब उसके आकार को अनुसूची 2 के भाग क के पैरा 5 में यथा वर्णित चतुर्थांश पद्धति द्वारा कम किया जाएगा।

2. प्रत्येक दिवस के सम्मिश्र अंश को मिश्रित करते हुए पोत का सम्मिश्र तैयार किया जाएगा। अतिरिक्त परीक्षण नमूना और संदर्भ नमूना अनुसूची 2 के भाग क के पैरा 6 में दिए गए रूप में तैयार किया जाएगा।

(ii) उपमद (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"घ) बोरियों से नमूनों का निकाला जाना

1. प्रत्येक बोरियों में से यादृच्छिक रूप से 5 बोरियों का चयन किया जाएगा।

2. समरूप पदार्थों को अंतर्विष्ट करने वाली बोरियों की संख्या अधिक होने की दशा में, निम्नलिखित मानदंड के अनुसार बोरियों का चयन किया जाएगा:—

2 वाहकों के लिए	-	प्रत्येक वाहक से
3 से 10 वाहक	-	03 वाहकों से
10 से अधिक वाहक	-	05 वाहकों से

(3) प्रत्येक वाहक से चयन की गई बोरियों से नमूनों को अनुसूची 2 के भाग क के पैरा 4 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार निकाला जाएगा। चयन किए गए वाहक के प्रत्येक बोरी से निकाले गए सभी नमूनों को वाहक का सम्मिश्र नमूना बनाने के लिए एक साथ मिश्रित किया जाएगा। यदि वाहक का सम्मिश्र नमूना अपेक्षित भाग से अधिक है; तब उसके आकार को अनुसूची 2 के भाग क के पैरा 5 में दिए गए रूप से तैयार किया जाएगा।

(4) सभी वाहक के सम्मिश्रण नमूने को एक साथ मिश्रित किया जाएगा और परीक्षण नमूना तथा संदर्भ नमूना अनुसूची 2 के भाग क के पैरा 6 में दिए गए रूप में तैयार किया जाएगा।"

(iii) अनुसूची 3 के भाग क में, शीर्ष "जैव उर्वरकों का विनिर्देश" के अधीन, "माइक्रोरिजल जैव उर्वरक" से संबंधित क्रम संख्यांक 5 में, मद

(v) और मद (vi) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) 60 मिनट के भीतर प्रतिग्राम बीजाणु से तैयार उत्पाद का प्रति 100 ग्राम से कुल प्रोपेगुलस जो जीवनक्षम हो

(v) संक्रमण क्षमता = संचारण क्षमता : 1200 आई पी/ग्राम (जो 10 गुना अवमिश्रण के साथ एम पी एन पद्धति द्वारा अवधारित होगा)।"

[फा. सं. 2-3/2014 उर्वरक विधि]

ई. रानी कुमुदिनी, संयुक्त सचिव (आईएनएम)

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 758(अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और का.आ. संख्यांक 2969(अ), तारीख 25-11-2014 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 31st January, 2015

S.O. 297(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Fertiliser (Control) Order, 1985, namely:—

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Control) Amendment Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Control) Order, 1985 (hereinafter referred as the said Order),—

(i) in Schedule I, in Part A, under the heading "Specification of fertilisers", in sub-heading "1 (g). fortified fertilizers", after serial 14, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

'15. Bentonite Sulphur with Zinc

Moisture per cent by weight, maximum	1.0
Sulphur (as S) per cent by weight, minimum	65.0
Zinc (as Zn) per cent by weight minimum	18.0

Particle Size - Not less than 90 per cent of the material shall pass through 4 mm IS sieve and be retained on 1 mm IS sieve.

Not more than 5% shall pass through 1 mm IS sieve.’;

(ii) in Schedule II, in Part A, under the heading “Procedure for drawl of sample of fertilisers”, in paragraph 7,—

(A) in item no (i) relating to “Sampling equipments”, for sub-item (c) the following shall be substituted, namely:—

“(c) **Sampling cup or scoop:**

The samples from the wharf or silo, as the case may be, can be collected by a sampling cup or a suitable scoop made of stainless steel or brass.”;

(B) in item no (ii), “Sampling procedure”,—

(I) in sub item (a), for paragraph B the following, shall be substituted, namely,—

“B. **Sampling from ship**

1. Draw the samples, from the fertilizer being discharged from the ship on the wharf or silo as the case may be, periodically at the regular interval of five hours on first and last day of discharge and three hours on intermediate days. All the samples drawn on a particular day shall be mixed together to make day composite sample. If the day composite sample is larger than required weight, its size shall be reduced by method of quartering as described in Paragraph 5 of Schedule II of Part A.

2. Then the ship composite sample shall be prepared by mixing part of each day composite. Further test sample and reference sample shall be prepared as given in Paragraph 6 of Schedule II of Part A.”;

(II) after sub-item (c), the following shall be inserted, namely:—

“(d) **Drawl of samples from containers**

(1) Minimum 5 bags shall be selected randomly from each container.

(2) In case of large number of containers containing similar material, the containers shall be selected randomly as per following criteria:—

Up to 2 containers	–	From each container
3 - 10 containers	–	03 containers
More than 10 containers	–	05 containers

(3) The samples shall be drawn from the bags selected from each container as per the procedure given in Paragraph 4 of Schedule II of Part A. All the samples drawn from each bag of the selected container shall be mixed together to make container composite sample. If the container composite sample is larger than required weight, its size shall be reduced by method of quartering as described in Paragraph 5 of Schedule II of Part A.

(4) All the container composite samples shall be mixed together and test sample and reference sample shall be prepared as given in Paragraph 6 of Schedule II of Part A.”;

(iii) in Schedule III, in Part A, under the heading “Specification of biofertilisers”, in serial no 5, relating to “Mycorrhizal Bio-fertilisers” for items (v) and (vi) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“(v) Total viable propagules/gram of product = 100 gm of finished product with minimum 60 spores per gram.

(vi) Infectivity potential = Inoculum Potential : 1200 IP/g
{determined by MPN method with 10 fold dilution}”.

[F. No. 2-3/2014 Fert Law]

I. RANI KUMUDINI, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 758(E), dated 25th September, 1985 and last amended *vide* S.O. No. 2969(E), dated 25th November, 2014.